

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०- निग/सारा- (निगम) आरोप-52/2022

6413(9)

पटना, दिनांक 31/12/2026

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक-3111 अनु० दिनांक-20.10.2022 के द्वारा श्री इमरान अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति निदेशक (क्रय एवं परि०), पथ निर्माण विभाग, पटना के विरुद्ध उक्त पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु विभाग से अनुरोध किया गया। पुलिस निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री अख्तर के विरुद्ध मुख्य रूप से गठित आरोप यथा- खगड़िया जिला अन्तर्गत मड़ैया-ओ०पी० में थाना भवन का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य अनुमोदित **Structural Design** एवं एकरारनामा के अनुरूप नहीं कराने, योजना के क्रियान्वयन में निर्धारित मापदण्डों एवं आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किये जाने, साथ ही प्रथम चालू विपत्र भुगतान करने से पूर्व मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग), तकनीकी परीक्षण कोषांग, एवं पी०डब्ल्यू०डी० कोड द्वारा विहित आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने, मो० अख्तर को निगम के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1340, दिनांक 04.05.2020 के द्वारा दरभंगा प्रमंडल से स्थानान्तरण किये जाने के बावजूद विहित प्रक्रियाओं की अनदेखी कर दिनांक 08.05.2020 से 14.05.2020 तक छः दिनों में तीस योजनाओं में कुल 6,81,45,209/- (छः करोड़ इक्यासी लाख पैतालीस हजार दो सौ नौ) रुपये मात्र का भुगतान किये जाने आदि का है।

2. श्री अख्तर से उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-673 (एस) अनु० दिनांक-09.02.2023 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-11.05.2023 से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-6638 (एस) अनु० दिनांक-03.11.2023 के द्वारा उक्त अभिकथन की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त अभिकथन पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मंतव्य की माँग की गयी। तदोपरांत पुलिस निगम के पत्रांक-4153 दिनांक-09.11.2023 के द्वारा श्री अख्तर के सभी उत्तर को कंडिकावार खंडन करते हुए स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अस्वीकृत किये जाने का परामर्श/मंतव्य दिया गया। पुलिस निगम से प्राप्त परामर्श/मंतव्य के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत पूर्व से गठित आरोप पत्र के संदर्भ में श्री अख्तर के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1149 (एस) अनु० दिनांक-01.03.2024 के द्वारा अभियंता प्रमुख (मु०)-सह-संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2545(ई) अनु० दिनांक-31.05.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपी के बचाव-बयान की समीक्षा करते हुए गठित सभी 05 (पाँच) आरोपों को अप्रमाणित होने का निष्कर्ष गठित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-6596 (एस) अनु० दिनांक-27.12.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए जाँच प्रतिवेदन में आरोपवार गठित निष्कर्ष पर स्पष्ट तार्किक मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में निगम के पत्रांक-220 दिनांक-16.01.2025 के द्वारा संचालन पदाधिकारी के पाँचों आरोपों में गठित मंतव्य/निष्कर्ष का कंडिकावार खंडन करते हुए आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य गठित किया गया। तदोपरांत पुलिस निगम के द्वारा आरोपवार किये गये खंडन को ही असहमति का बिन्दु मान्य करते हुए विभागीय पत्रांक-5338 (एस) अनु० दिनांक-16.06.2025 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी।

4. उक्त के आलोक में श्री अख्तर के पत्रांक-शून्य दिनांक-21.07.2025 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया। श्री अख्तर के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन पर अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबंधन) का मंतव्य प्राप्त किया गया। उनके द्वारा श्री अख्तर के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन को स्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया। उक्त मामले में संचिका में उपलब्ध अभिलेखों/कागजातों का समेकित रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :-

(i) संचालन पदाधिकारी के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर निगम से मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमति व्यक्त किया गया। निगम के द्वारा आरोप संख्या-01 से लेकर 04 तक के संबंध में लगभग एक समान रूप से मंतव्य दिया गया है कि गृह विभाग के द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश (DRG No. -1144/1143 दिनांक 09.01.2020), जिसमें Raft Foundation का प्रावधान किया गया था, कि अनदेखी कर योजना के लिए पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश (DRG No.- 546/545 दिनांक 05.10.2016), जिसमें Pile Foundation का प्रावधान किया गया था, के आधार पर एकरारनामा किया गया। वास्तव में Pile Foundation का भी कार्य नहीं कराया गया और मापी पुस्तिका में Pile Foundation की जाली प्रविष्टि कर 40 लाख रुपये का बन्दरबांट किया गया।

उक्त संबंध में आरोपी श्री अख्तर के द्वारा अपने बचाव में यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रारंभ में दिनांक - 05.10.2016 को निर्गत स्वीकृत्यादेश में Pile Foundation का प्रावधान किया गया था। इसके लगभग 03 वर्ष से अधिक अवधि के बाद नया स्वीकृत्यादेश दिनांक-09.01.2020 को निर्गत किया गया, परन्तु प्रमंडल में नया स्वीकृत्यादेश निर्गत होने की सूचना तत्समय उन्हें नहीं दी गई, जिसके फलस्वरूप प्रारंभ में निर्गत स्वीकृत्यादेश, जिसमें Pile Foundation का प्रावधान किया गया था, के आधार पर एकरारनामा किया गया।

मामले की समीक्षा के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत मामले में दो बार स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया था। अर्थात् प्रथम बार वर्ष, 2016 में एवं संशोधित स्वीकृत्यादेश वर्ष, 2020 में निर्गत किया गया है, जिसकी पुष्टि निगम से प्राप्त मंतव्य से भी होती है। आरोपी के द्वारा निगम से संशोधित नक्शा प्रमंडल को उपलब्ध कराये जाने की सूचना की मांग की गई थी, परन्तु निगम के द्वारा इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही इस संबंध में निगम के द्वारा अपने मंतव्य में भी कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अतएव यह माना जा सकता है कि आरोपी श्री अख्तर को संशोधित स्वीकृत्यादेश एवं नक्शा की जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनके द्वारा पूर्व के स्वीकृत्यादेश के आधार पर एकरारनामा किया गया एवं Pile Foundation का कार्य कराया गया। इसके लिए श्री अख्तर को दोषी माने जाने का कोई युक्ति संगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

(ii) निगम के द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि आरोपी के द्वारा Pile Foundation का भी कार्य नहीं कराया गया, जबकि आरोपी का कथन है कि उनके द्वारा Pile Foundation का कार्य कराया गया था। इस संबंध में आरोपी के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उनके बाद के कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्व में कराये गये Pile Foundation के कार्य को हटाकर संशोधित नक्शा के अनुरूप नये सिरे से Raft Foundation का कार्य कराया गया और इस क्रम में Pile Foundation के मद में भुगतान किये गये राशि को समायोजित कर Raft Foundation सहित अन्य कार्यों का भुगतान किया गया। आरोपी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में मापी पुस्त संख्या-2201 एवं बिल फॉर्म की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि संवेदक के विपत्र से 40 लाख रुपये

का समायोजन किया गया है। इसलिए आरोपी के विरुद्ध Pile Foundation का कार्य नहीं कराये जाने एवं 40 लाख रुपये को बन्दरबांट कर लिये जाने के आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

(iii) आरोप संख्या-05 के संबंध में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा असहमति के बिन्दु के रूप में यह मंतव्य दिया गया है कि कार्यालय आदेश संख्या-162/2020 ज्ञापांक -HQ-1340 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा दरभंगा प्रमंडल से स्थानांतरित किये जाने के बावजूद विहित प्रक्रियाओं की अनदेखी कर दिनांक 08.05.2020 से दिनांक 14.05.2020 तक छः दिनों में 30 योजनाओं में कुल 6,81,45,209/- रु० का भुगतान किया गया, जो वित्तीय नियमों के साथ स्थापित परम्पराओं एवं सामान्य आचार संहिता का भी उल्लंघन है। साथ ही मुख्य लेखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम तिमाही की पूरी अवधि एवं इस अवधि में कुल राशि का भुगतान सापेक्ष प्रतीत नहीं होता है अर्थात् प्रथम तिमाही में कार्य व्यय मद में व्यय की गई राशि 6,37,73,098/- रु० में से 6,30,55,688/- रु० का भुगतान स्थानान्तरण के पश्चात छः दिन की अवधि में किया गया एवं मात्र 7,17,410/- रु० का भुगतान प्रथम तिमाही की शेष अवधि में किया गया, जो संदिग्ध आचरण एवं अनुचित लाभ के उद्देश्य को दर्शाता है। उक्त संबंध में श्री अख्तर के द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर में अंकित किये गये तथ्यों एवं संलग्न किये गये ज्ञापांक-HQ-1340 दिनांक-04.05.2020, श्री अख्तर का पत्रांक 696 दिनांक 06.05.2020 निगम के आदेश संख्या-169/2020 ज्ञापांक-HQ-1397 दिनांक 11.05.2020, श्री कमालुद्दीन खाँ का पत्रांक-शून्य दिनांक 08.05.2020 एवं प्रभार रिपोर्ट दिनांक-15.05.2020 की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रारंभ में ज्ञापांक-1340 दिनांक 04.05.2020 के द्वारा आरोपी श्री अख्तर एवं श्री कमालुद्दीन खाँ का स्थानान्तरण एक-दूसरे के स्थान पर किया गया था। श्री अख्तर के द्वारा स्थानांतरित कार्यालय (हाजीपुर) में दिनांक 06.05.2020 को योगदान कर लिया गया, परन्तु श्री कमालुद्दीन खाँ के द्वारा स्थानांतरित कार्यालय (दरभंगा) में योगदान नहीं किया गया। श्री खाँ के आवेदन के आलोक में ज्ञापांक-1397 दिनांक-11.05.2020 के द्वारा पुनः - श्री खाँ को अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए दरभंगा प्रमंडल में श्री शंभू कुमार का पदस्थापन किया गया। इस प्रकार, श्री अख्तर के द्वारा हाजीपुर प्रमंडल का प्रभार ग्रहण कर लेने एवं श्री खाँ के द्वारा दरभंगा प्रमंडल का प्रभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में श्री अख्तर के द्वारा यह तर्क दिया जाना कि निगम मुख्यालय के मौखिक निदेश पर ही उनके द्वारा दरभंगा प्रमंडल के कार्यों का भी निष्पादन किया जा रहा था, को तर्क संगत माना जा सकता है।

(iv) साथ ही श्री अख्तर के द्वारा अपने बचाव बयान में यह उल्लेख किया गया था कि स्थानान्तरण आदेश के पश्चात उनके द्वारा जो भी भुगतान किया गया था, वह निगम मुख्यालय के मौखिक निदेश के आलोक में किया गया था। चूंकि निगम के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य के तहत श्री अख्तर के उक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया है, इसलिए श्री अख्तर के कथन से असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है।

(v) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मुख्य लेखा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम तिमाही की पूरी अवधि एवं इस अवधि में कुल राशि भुगतान सापेक्ष प्रतीत नहीं होता है, परन्तु निगम द्वारा साक्ष्य के रूप में मुख्य लेखा पदाधिकारी का कथित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, अतएव इस आरोप को साक्ष्यगत नहीं माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के द्वारा उपलब्ध कराये गये निगम मुख्यालय की संचिका में मुख्य लेखा पदाधिकारी (C.A.O.) एवं Financial Advisor (F.A.) के अंकित टिप्पणी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आरोपी श्री अख्तर के द्वारा किये गये भुगतान में कोई अनियमितता नहीं है।

(vi) उक्त समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि यद्यपि श्री अख्तर के द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात किया गया भुगतान अनियमित नहीं है तथापि मात्र छः दिनों के अन्दर बड़े पैमाने पर किये गये भुगतान को सामान्य आचार संहिता एवं स्वच्छ परम्परा के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। CWJC No. 10048/2018 में

दिनांक 07.05.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में 98,31,589/-रु० के भुगतान को कार्यहित में उचित माना जा सकता है, परन्तु इसके अतिरिक्त कई योजनाओं में किये गये भुगतान को नैतिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात सामान्य स्थिति में भुगतान करने से परहेज करना चाहिए था। श्री अख्तर के इस कृत्य को निन्दनीय माना जा सकता है।

(vii) इसके अतिरिक्त, समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि यद्यपि श्री अख्तर के द्वारा Pile Foundation का कार्य कराये जाने की साक्ष्यगत पुष्टि होती है, परन्तु श्री अख्तर के द्वारा इस Pile Foundation के कार्य के संबंध में कोई भी गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे इस बात को बल प्रदान करता है कि श्री अख्तर द्वारा Pile Foundation के कार्य की गुणवत्ता जाँच कराये बगैर भुगतान की कार्रवाई की गई। इस हद तक श्री अख्तर का दोष परिलक्षित होता है। हालाँकि इससे उक्त कार्य के गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि कालान्तर में संशोधित स्वीकृत्यादेश एवं नया नक्शा के अनुरूप Pile Foundation के कार्य को हटाकर इसके बदले Raft Foundation का कार्य कराया गया है।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत मामले में की गयी समीक्षा से स्पष्ट है कि आरोपी श्री अख्तर के द्वारा स्थानान्तरण के उपरान्त जो भी भुगतान किया गया है, वह अनियमित नहीं पाया गया है, इसलिए इनके कृत्य से कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। हालाँकि स्थानान्तरण हो जाने के उपरान्त भुगतान करने से इन्हें परहेज करना चाहिए था, इसे स्वच्छ परम्परा के अनुकूल नहीं माना जा सकता है। साथ ही श्री अख्तर के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा Pile Foundation का कार्य नहीं कराया गया है, जबकि उपर्युक्त समीक्षा में Pile Foundation का कार्य कराये जाने की साक्ष्यगत पुष्टि होती है, परन्तु उक्त कार्य के गुणवत्ता की जाँच कराये बगैर ही भुगतान की कार्रवाई की गयी, जो उचित नहीं है। हालाँकि Pile Foundation के मद में भुगतान किये गये राशि को बाद में समायोजित कर लिया गया है। चूँकि श्री अख्तर की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2027 है, ऐसी स्थिति में श्री अख्तर के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) निन्दन (आरोप वर्ष-2020)

दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(संजय कुमार सिन्हा)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- निग/सारा- (निगम) आरोप-52/2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा- (निगम) आरोप-52/2022 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।
अनु0-यथोक्त।

ह0/-
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- निग/सारा- (निगम) आरोप-52/2022 पटना, दिनांक.....
प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख
(मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, पथ
निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव,
मुख्यालय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ
निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ
निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री इमरान अख्तर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बिहार
पुलिस भवन निर्माण निगम, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति निदेशक (क्रय एवं परि0), पथ
निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- निग/सारा- (निगम) आरोप-52/2022 6414(3) पटना, दिनांक 3/9/2026
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

[Signature] 03.9.26
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
[Signature] 03.09.26